# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

RCMS ID 2013/00141

मिसल संख्या 69/2013

13

1. भैरूलाल पुत्र शंकरलाल जाति धाकड
2. बृजमोहन पुत्र शंकरलाल जाति धाकड
3. रामस्वरूप पुत्र शंकरलाल जाति धाकड

निवासीगण ग्राम दसलाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा

.....वादीगण

**–बनाम–**

नगर निगम कोटा, जरिये महापौर नगर निगम कोटा।

.....प्रतिवादगण

**वाद अन्तर्गत धारा–188 राज0 काश्तकारी अधिनियम**

**–: निर्णय :–**

दिनांक – 25/5/26

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई प्रकरण निम्न प्रकार है:–

वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा–188 राज0 काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि:–

वादी गण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख० नं0 156 की 0.19 है०, 157 की 0.03 है0, 277/819 की 0.02 है0 404 की 0.34 है0 406 की 1.16 है0 407 की 0.03 है०, 408 की 0.47 है०, 409 की 1.06 है0, 416 की 0.68 है0, 417 की 0.25 है०, 418 की 0.60 है0, 419 की 1.10 है०, 420 की 0.26 है0, 421 421 की 0.59 है0, 422 की 0.29 है0 कुले 15 किता रकबा 7.09 है० वाके ग्राम दसलाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है जिस पर वादी गण बहैसियत खातेदार निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है ।

वादी के उक्त कब्जे काश्त की आराजी के खसरा संख्या 156 व 157 से प्रतिवादी अनाधिकृत रूप से रास्ता निकालना चाहते है। इस प्रकार से अनाधिकृत रूप से रास्ता आदि निकालने का का कोई कानूनी अधिकार प्रतिवादी को प्राप्त नहीं है।

उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रतिवादी के अधिकारी व कर्मचारी दिनांक 23.02.2013 को मौके पर आये, और ख० नं0 156, 157 की भूमि में जबरन रास्ता निकालने का प्रयास किया, और वादीगण के मना करने के बावजूद वादीगण की कोई बात नही मानी। उक्त आराजी का सरकार द्वारा कभी कोई अधिग्रहण भी नही किया गया है, और जबरन मनमाने तौर पर रास्ता निकालने का प्रयास प्रतिवादी कर रहा है, ऐसी

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

स्थिती में प्रतिवादी के उक्त अवैधानिक कृत्य को रोकने हेतु वादीगण को यह वाद लाना आवश्यक हो गया है।

(14)

**तहसीलदार लाडपुरा से मौका रिपोर्ट प्राप्त की। रिपोर्ट अनुसार–**

ग्राम दसलाना के खसरा संख्या 156 व 157 की मौके पर जाकर वस्तु स्थिति की जानकारी ली गई। वर्तमान मे मौके पर नगर निगम कौटा द्वारा ग्राम दसलाना से नदी की तरफ जाने के लिये रास्ते का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। ग्राम दसलाना के नक्शे लठ्ठे से मिलान करने पर पाया गया कि उक्त रास्ता खसरा संया 156 व 160 के मध्य से निकल रहा है परन्तु वर्तमान रिकोर्ड की स्थिति के अनुसार कोई भी रास्ता उपलब्ध नही है उक्त सम्पूर्ण रास्ता कृषकों के खातों की भूमि से होकर निकला हुआ है।

बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया एवं बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया।

वादीगण द्वारा हस्तगत वाद दिनांक 04.03.13 को इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया था कि प्रतिवादी वादी के खाते की भूमि पर ताकत के बल पर कोई नया रास्ता कायम नही करे और ना ही वादीगण की भूमि मे खडी फसल को कोई क्षति पहुचाये।

तहसीलदार लाडपुरा द्वारा दिनांक 12.07.2013 को प्रस्तुत अपने रिपोर्ट मे स्पष्ट किया है कि नगर निगम कोटा द्वारा ग्राम दसलाना से नदी की तरफ जाने के लिए रास्ते का निर्माण करवाया जा रहा है। उक्त रास्ता खसरा संख्या 156, 160 के मध्य से निकल रहा है। वर्तमान रिकोर्ड मे कोई रास्ता दर्ज नही है।

उक्त परिस्थिति मे यह प्रमाणित होता है कि नगर निगम कोटा द्वारा जिस स्थान पर रास्ते का निर्माण प्रारम्भ किया गया था वह खातेदारी की भूमि थी लेकिन 13 वर्ष व्यतित हो जाने के उपरांत वादीगण द्वारा चाही गयी राहत वर्तमान मे उपलब्ध करवाया जाना संभव नही है। इस न्यायालय का यह विनम्र मत है कि जिस रास्ते का निर्माण निगम द्वारा प्रारम्भ किया गया था वह तत्समय पूर्ण हो गया होगा। साथ ही यह न्यायालय यह भी मानता है कि उक्त रास्ता ग्राम से नदी तक बनाया गया है जो सभी ग्रामवासियों के सुखाचार से भी संबंधित है।

हस्तगत प्रकरण मे चाही गयी राहत तात्कालिक थी जो वर्तमान मे उपलब्ध करवाया जाना संभव नही है। अतः प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गजेन्द्र सिंह)
RAS
उपखण्ड अधिकारी, कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा